राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 74/2015

गजानन्द मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, वित्त (Taxation) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव (वित्त राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.01.2015
आदेश की दिनांक : 23.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.10.2014 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी से वसूली नहीं की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर पंचायती राज विभाग में दिनांक 05.06.2008 को जिला परिषद्, चित्तौडगढ़ में हुई थी। उनका कथन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस संयुक्त परीक्षा वर्ष 2010 में विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी ने उक्त परीक्षा में शामिल होने के लिये विभाग से अनुमति मांगी और दिनांक 17.07.2010 को अपीलार्थी को अनुमति प्रदान की गई तथा वर्ष 2010 की रिक्तियों में अपीलार्थी का कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन हुआ तथा आदेश दिनांक 15.02.2012 के द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति छोटीसादडी, जिला चित्तौडगढ़ से कार्यमुक्त कर दिया गया और अपीलार्थी का आदेश दिनांक 19.03.2012 के द्वारा वेतन निर्धारण कर दिया गया। परंतु बिना किसी नोटिस के आदेश दिनांक 16.10.2014 के द्वारा अपीलार्थी का वेतन निर्धारण

संशोधित कर दिया गया और उसे यह कहते हुये निर्धारित वेतन पर निर्धारित कर दिया गया कि अपीलार्थी राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं है तथा वह कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पे प्रोटेक्शन पाने का हकदार नहीं है। जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 के अनुसार अपीलार्थी राज्य कर्मचारी है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना विचार किये अपीलार्थी का वेतन फिक्सड कर दिया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.10.2014 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी से वसूली नहीं की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आक्षेपित आदेश के द्वारा अपीलार्थी के वेतन भत्तों में नियमानुसार संशोधन किया गया और उसे त्रुटिवश राज्य सरकार का कर्मचारी मानते हुये पूर्व सेवा का लाभ दिया गया। जबकि ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव का पद राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अपीलार्थी का जो वेतन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, वह नियमानुसार एवं उचित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर पंचायती राज विभाग में दिनांक 05.06.2008 को जिला परिषद्, चित्तौडगढ़ में हुई थी और अपीलार्थी द्वारा प्रोपर माध्यम से विभाग से अनुमति उपरांत आरएएस संयुक्त परीक्षा भर्ती वर्ष 2010 में आवेदन किया गया और उक्त परीक्षा में वर्ष 2010 की रिक्तियों में अपीलार्थी का कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन हुआ तथा आदेश दिनांक 15.02.2012 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया और अपीलार्थी का आदेश दिनांक 19.03.2012 के द्वारा वेतन निर्धारण कर दिया गया। परंतु बिना किसी नोटिस के आदेश दिनांक 16.10.2014 के द्वारा अपीलार्थी का वेतन निर्धारण संशोधित कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी का वेतन निर्धारण में संशोधन कर कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पे प्रोटेक्शन प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 15.02.2012 के द्वारा अपीलार्थी को पूर्व नियोजक द्वारा

नियमानुसार कार्यमुक्त किया गया है और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्रत्यर्थी विभाग को भेजी है तथा एलपीसी दिनांक 19.03.2012 के आधार पर अपीलार्थी ने कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण किया। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी का पूर्व पद स्वायत्त (ऑटोनोमस) प्रकार का पद है और उक्त पद राज्य सेवा का नहीं होने के कारण पूर्व सेवा का वेतन एवं अवकाश का लाभ देय नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7239/2017 सुरेन्द्र कुमार व्यास व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5781/2018 हनी सिंह चौहान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2022, जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि बोर्ड/निगमों के कर्मचारी राज्य सरकारी कर्मचारी के बराबर हैं और वे राज्य सरकार के सभी लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। अपीलार्थी की सेवायें राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत आती हैं, जो ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधीन है और राज्य सरकार का विभाग है और वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के अंतर्गत लगभग 7 अन्य विभागों के स्थानान्तरण जैसे मामलों में अधिकार भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार हमारे मत में यह कहना उचित नहीं है कि अपीलार्थी का पूर्व का पद राज्य सरकार के अधीन नहीं है और अपीलार्थी राज्य सरकार का कार्मिक नहीं है। अतः उक्त तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 16.10.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर स्थायीकरण होने तक पूर्व विभाग से प्राप्त एलपीसी के अनुसार वेतन भत्तों का भुगतान किया जावे एवं अन्य पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य